

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक: एफ.1(6)()स्था/NTT/ICDS/22/ 5851

जयपुर,दिनांक: 16-01-2023

आदेश

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(15)शिक्षा-1/बाल वाटिका/2022 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 102207020 दिनांक 28.12.2022 से प्राप्त सहमति अनुसार आईसीडीएस में सृजित 2500 (2000 नॉनटीएसपी + 500 टीएसपी) पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदों को शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित कर दिए जाने के फलस्वरूप दोनो विभागो के संयुक्त आदेश दिनांक 12.01.2023 द्वारा आईसीडीएस में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण इस विभाग में उक्त सृजित पदों को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

16.1.2023

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)()स्था/NTT (कार्य. व्य.)/ICDS/22/ 5852-880 जयपुर,दिनांक: 16-01-2023

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 30.12.2022 के क्रम में।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
6. उपनिदेशक (प्रशासन) मुख्यालय को उक्त पत्रों की प्रति संलग्न कर विभागीय संशोधित सेवानियम 09.12.2011 में पद विलोपन संबंधी अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को उक्त पत्रों की प्रति संलग्न कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय (एसीआर/जांच प्रशाखा सहित)।
9. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ।
10. उपनिदेशक, एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
12. व्यक्तिगत पत्रावली।
13. आदेश पत्रावली।

16/1

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।